

प्रपत्र-3
वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन
संरक्षक/व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

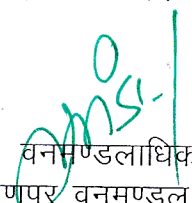
1	परियोजना का नाम	बस्तर नेट प्रोजेक्ट हेतु बस्तर संभाग के अंतर्गत नारायणपुर वनमण्डल के परिक्षेत्र बेनूर एवं परिक्षेत्र नारायणपुर के अंतर्गत आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु			
2	आवेदक/आवेदक का विभाग का नाम	छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर			
3	गैर वनिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	बस्तर नेट प्रोजेक्ट बस्तर संभाग के अंतर्गत नारायणपुर वनमण्डल में आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु			
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल	
		नारायणपुर	नारायणपुर	नारायणपुर वनमण्डल अंतर्गत 0.854 हे० वन भूमि	
5	वन भूमि / राजस्व वन भूमि का विस्तृत विवरण	वन खंड	कक्ष क्रमांक/ख०क्र०	रकबा हे.में	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल हे. में
	(क) सीमांकित संरक्षित वन	मातला	2394, 2395, 2396, 2397	908.31	0.307
	योग :-	-		908.31	0.307
	(ख) सीमांकित आरक्षित वन	देवगांव, नेलवाड, गुलुमकोडो, भाटपाल	P2338, P2335, P2331, P2315	771.55	0.199
	योग :-	-		771.55	0.199
	(घ) राजस्व वनक्षेत्र	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हे.में	
		कनेरा	11, 12, 15, 20, 24		
		तेलसी	204, 209		
		गुरिया	81		
		करलखा	23, 30		
		सुर्लेगा	25		
		देवगांव	314, 387, 486, 487, 488, 490, 661, 462		
		गोहड़ा	124		
		सिवनी	172, 178		
		भाटपाल	581, 653		
	योग:-				0.118
	कुलयोग :-			-	0.854
6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	वन क्षेत्र			
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	निरंक			
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	सामान्य			

9	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी. /वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग से लगा हुआ (मानचित्र संलग्न)
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायेस्पेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाडी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	लागू नहीं है
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि. मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या	02 (रावघाट परियोजना एवं निको जायसवाल छोटेडोगर परियोजना)
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण दें।	नहीं

// प्रमाण-पत्र //

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई कुल 0.854 हे. ऑरेज एरिया, संरक्षित वन, आरक्षित वन एवं राजस्व वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल :- नारायणपुर
दिनांक :- 09/01/2018


 वनमण्डलाधिकारी,
 नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर